3880

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH G 300077

न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड)

आफिस का नाम–	सब रजिस्ट्रार, कार्यालय तहसील गुन्नौर, जनपद बदायूँ ।
लेख प्रस्तुतिकारण तिथि–	: 23–07–09
न्यास का नाम	: **जे0के0 एजूकेशनल ट्रस्ट**
	: बदायूँ रोड, बबराला, जनपद–बदायूँ (उ0प्र0)
न्यासीगणों के नाम	: 1–श्रीमती पुष्पा देवी यादव
	: 2–श्री अजीत कुमार उर्फ राजू यादव
	: 3–श्री दीपक कुमार यादव
कार्यालय का पता	: बदायूँ रोड, पैटोल पम्प के पास, बबराला, जनपद–बदायूँ (उ0प्र0)
ट्रस्ट संपत्ति	: रू0 10,000/– (दस हजार)
स्टाम्प शुल्क देय	: रू0 750/– (सात सौ पच्चास)

Prem Pal Dy. Cashier G.N.R.

यह न्यास विलेख नगर बबराला में दिनांक : 23–07–09 को श्री अजीत कुमार यादव पुत्र श्री जुगल किशोर यादव निवसी बदायूँ बबराला, जिला बदायूँ मुकिर के द्वारा जे0के0 एजूकेशनल ट्रस्ट बदायूँ रोड, बबराला जिला बदायूँ के पक्ष में इस विलेख के न्यासियों के रूप में श्रीमती पुष्पा देवी यादव पत्नी स्व0 श्री जुगलकिशोर यादव, अजीत कुमार उर्फ राजू यादव व दीपक कुमार यादव पुत्रगण स्व0 श्री जुगल किशोर यादव निवासीगण बदायूँ रोड, बबराला आज दिन से ट्रस्ट की वर्तमान एवं भविष्य में प्राप्त होने वाली समस्त चल–अचल संपत्ति को विनियोजित करते हुए निम्न प्रकार से घोषित करते हैं।

चूंकि मुकिर की इच्छा है कि वह तरूण/बालक/बालिकाओं के शिक्षण और शैक्षिक /व्यवसायिक प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ किसी उत्तम स्थान पर एक विद्यालय स्थापित करने हेतु इस विलेख में वर्णित संपत्ति को न्यास पर व्यवस्थिति करें।

अजीत कुमार पुष्पा देवी दीपक कुमार

Scanned by CamScanner

स्टाम्प का मूल्य 22/3/11 1135

क्रमांक 2

अजीत कुमार S/o श्री जुगल किशोर नि० बघराला त० उनीयारा

500

विक्रेता

लाइसेन्स नं० 6

10/6 22/3/11

न्याय विलेख 10000/-

क्र०	संख्या	सुनाया मूल्य	फीस	शब्द संख्या
204		29		

श्री अजीत कुमार यादव पुत्र श्री जुगल किशोर यादव

नि० बघराला अजमेर

जिला

जाति

अजीत कुमार

जो मय 1 प्र० प्रस्तुत किया

जिसको रजिस्ट्री हेतु पेश किया ... अजीत कुमार यादव पुष्पा देवी यादव व जुगल किशोर यादव दीपक कुमार यादव पु० जुगल किशोर यादव ने स्वीकार किया

अभयचन्द

राजाराम ... कोटा

सुरेशचन्द ... नेकाडे

गुलाबगंज

अजीत कुमार

अजीत कुमार पुष्पादेवी दीपक कुमार सुरेशचन्द

कार्यालय उप पंजीयक

आगंतुक के अंगुष्ठ चिन्ह नियमानुसार लिए गए हैं।

Scanned by CamScanner

50 Rs.

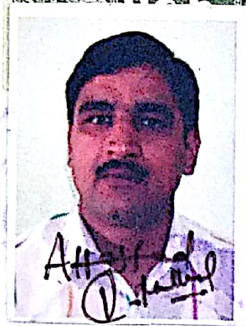
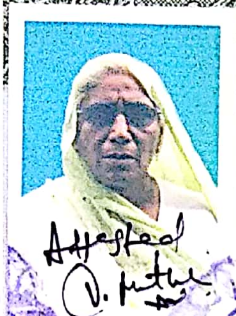

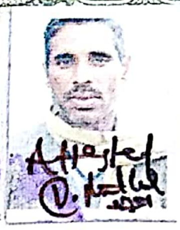

584

चूंकि उपरोक्त न्यासीगण इस विलेख वर्णित संपत्ति को इसके वर्णित निर्देशों के अधीन मुकिर के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ उनमें निहित करने के लिए सहमत हो गये हैं, ताकि ट्रस्ट मुकिर की इच्छा और निर्देशों के अनुसार अपने लक्ष्य में प्रवृत्त हो सकें।

अतः मुकिर निम्नानुसार घोषित करता है–

1– यह कि दाता इस विलेख में संपत्ति न्यास के पक्ष में हस्तानान्तिरत, अन्तरित और अनुदत्त करता है, कि वह उसे नीचे वर्णित न्यास के उददेश्यों के लिए प्राप्त और धारित करें और ट्रस्ट के द्वारा उसका विनियोग मुकिर के निर्देशों के अनुसार उक्त उददेश्यों को कार्यान्वित और पूरित करने के लिए किया जाये और मुकिर एतत्द्वारा सर्वदाकाल के लिए इस विलेख में वर्णित उक्त संपत्ति में के (जिस आज दिन पश्चात न्यास की विषय वस्तु कहा जायेगा) अपने हित तथा उनके प्रति किसी दावा का त्याग करता है।

2– न्यास के उद्देश्य एवं अधिकार निम्नलिखित हैं–

(i) शैक्षिक प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक विद्यालायों को खोलना, चलाना तथा चालू रखना।

(ii) चरित्रवान तथा शुभ आचरण वाले अध्यापकों/अध्यापिकाओं शिक्षकों तथा विशेषज्ञों की नियुति करना जो शिष्यों और विद्यार्थियों को आधुनिक विज्ञान, औद्योगिक व्यवसाय, गवेषण कार्य, बौद्धिक एवं अन्य उपयोगी वृत्तियों में दक्षता आधुनिकतम शिक्षण एवं प्रशिक्षण देने के योग्य हों।

(iii) विद्यार्थियों एवं उस संस्था से संबंधित समस्त व्यक्तियों के मानसिक, शारीरिक तथा नैतिक विकास की ओर स्वस्थ्य और समालोचनात्मक मनोभाव को विकसित करना ताकि वे अच्छे नागरिक बन सकें।

(iv) विद्यार्थी तथा उस संस्था से संबंधित समस्त व्यक्यिों के लिए छात्रावास स्थापित करना तथा उसे चलना।

अनीश कुमार पुष्पा देवी दीपक कुमार

Scanned by CamScanner

50 Rs.

585

15 JUL 2009

(v) न्यास की विषय वस्तु का इस प्रकार विनिधान, व्ययन, अन्तरण या अन्य लेन देन करना, जैसे कि न्यासीगण ठीक समझें ताकि न्यास उद्देश्यों को प्रभावशाली रूप से कार्यान्वित करे सके।

(vi) दान, अनुदान,उपहार तथा अन्य भेंटों को स्वीकार करना तथा उन्हें न्यास के प्रयोजनों के लिए व्यवहार में लाना ।

(vii) इस विलेख के अधीन संस्थापित या स्थापित की जाने वाली संस्थाओं के संरक्षण और देख रेख में होने वाले व्यय तथा अन्य परिव्ययों की पूर्ति के लिए संयत शिक्षण शुल्क लेना।

(viii) शिष्यों को इस प्रकार प्रशिक्षित और सन्नद्ध करना है कि वे शिष्ट और सम्मान्य जीवन पथ अपनाने के लिए आत्म निर्भर हो सकें। और अच्छे स्वस्थ्य और प्रगतिशील नागरिक बनें।

(ix) ट्रस्ट को शिक्षण संस्थायें व्यवसायिक पाठ्यक्रम हेतु संस्थान, (BBA, MBA, BCA, MCA, PGDCA, B. Tech. M. Tech) शोध केन्द्र, मेडीकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, डेन्टल कालेज, आयुर्वेदिक कालेज, फार्मेसी संस्थायें एवं पैरामेडीकल कालेज (नार्सिंग आदि), विधि महाविद्यालय संस्थान के नियमानुसार स्थापित व संचालित करने का अधिकार होगा।

(x) ट्रस्ट को हास्पिटल, नार्सिंग होम, डिस्पेन्सरी, क्लीनिक, डायोग्नोटिक सेन्टर, रिसर्च सेन्टर आदि जो न्यास निर्णय ले, को स्थापित करने व संचालित करने का अधिकार होगा।

(xi) ट्रस्ट को केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, स्थानीय निकाय एवं विदेशी सरकार, मिशन द्वारा स्वीकृत योजना को जनहित में संचालित करने का अधिकार होगा।

(xii) ट्रस्ट द्वारा सेमिनार, कॉन्फेन्स, प्रदर्शनी आदि के द्वारा भयंकर रोगों से पीड़ित मरीजों को सहयोग करना व सलाह देना।

(xiii) ट्रस्ट द्वारा ग्रामोद्योग की स्थापना उत्तर प्रदेश व भारत सरकार के सहयोग से संचलान करना।

(xiv) टस्ट को भारत सरकार. राज्य सरकार. सांसदों. विधायकों. स्थानीय निकायओं आदि

Scanned by CamScanner

50 Rs.

586

15 JUL 2000

आदि की निधियों के सहयोग से विभिन्न संस्थाओं को संचालित करने का अधिकार होगा।

3— न्यासीगण संस्थान की अनुशसा पर ऐसी वृत्तियां और छात्रवृत्तियां, ऐसे निबन्धनों पर जैसे कि वे उचित समझें, दे सकेगें जो कि न्यास की विषय वस्तु की आय के समानुपातिक हों।

4— किसी न्यासी की मृत्यु /अक्षमता के कारण उसका उत्तराधिकारी न्यासी—मडंन में होने वाली रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा।

5— न्यास के प्रशासन में उत्पन्न होने वाली किसी प्रश्न का निर्णय तत्समय कार्यकारी न्यासि—यों के बहुमत द्वारा किया जायेगा।

6— न्यासीगण न्यास की विषय वस्तु के निकाय में से उसके किसी भाग के विक्रय के आगम से ऐसी धनराशि जैसी कि न्यासियों द्वारा सर्वसम्मति से संकल्पित की जाये भवन आदि के निर्माण में तथा अन्य पूंजीगत व्यय करने के लिए खर्च कर सकेंगे।

7— न्यास समिति—राजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन निगमित निकाय है जो उसके नियमों — और उप—नियमों द्वारा अधिशासित होगा।

8— न्यास न्यासियों को शुल्क, अनुदान, उपहार, दान तथा अन्य धनराशियों का, जो भी उसे प्राप्त होगी, लेखा देगी और किसी स्रोत से प्राप्त होने वाली निधियों के बारे में न्यासियों के निर्देश का पालन करेगी।

Scanned by CamScanner

50 Rs.

पचास रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

५०रू.

50RS.

FIFTY RUPEES

587

15 JUL

9— जब तक दाता जीवित रहे और इस मामले में काम करने के योग्य रहें तब तक वह न्यासियों में से एक न्यासी रहेगा और न्यासियों तथा न्यास की समस्त बैठकों का सभापतित्व करने का अधिकारी होगा। उसका निर्णयक मत भी होगा।

10— ट्रस्ट को संपत्ति को क्रय करने एवं विक्रय करने, लीज एवं किराये पर अन्य व्यक्तियों समितियों एवं संस्थाओं को देने का अधिकार होगा।

11— ट्रस्ट को अपनी संस्थाओं को संचालित करने के लिए बैंको, वित्तीय संस्थाओं, स्थानीय निकायओं, अन्य संस्थाओं, समितियों, व्यक्तियों तथा प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों से ऋण एवं बैंक गारन्टी लेने का अधिकारी होगा। इसके लिए वे ट्रस्ट की वर्तमान व भविष्य में प्राप्त होने वाली संपत्ति को संयुक्त रूप से मूल विक्रय विलेख आदि बैंक में बन्धक कर सकेगें। ट्रस्ट को अधिकार होगा कि B.A.M.S., M.B.B.S. फामेर्सी व इंजीनियरिंग तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से एक करोड़ पच्चास लाख तक ऋण भवन निर्माण अन्य उपकरण हेतु तथा बैंक गारन्टी पांच करोड़ रूपये तक आवश्यकता अनुसार समय समय पर प्राप्त कर सकेंगे।

अजीत कुमार पुष्पा देवी दीपक कुमार

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 03AA 132797

12— ट्रस्ट को सामान्य बैठक वर्ष में एक बार अथवा आवश्यकता पड़ने पर सदस्यों के 1/3 संख्या की मांग पर किसी भी समय आहूत करने का अधिकारी होगा।

5 JUL 2009

13— ट्रस्ट अपनी आय किसी भी बैंक में जमा कर सकता है तथा सभी प्रकार चालू खाता, बचत खाता आदि के खाते संचालन सभी ट्रस्टी करेंगे। न्यास को यह अधिकार होगा कि वह बैंक में खाता अपने नाम पर या संचालित प्रतिष्ठान के नाम पर जो भी उचित समझगी, खोलेगी।

14— यदि कोई भी समिति (संस्था) ट्रस्ट में विलय होना चाहे तो ट्रस्ट को अधिकार पूर्ण होगा कि वह उस संस्था को अपने में विलय कर ले ।

15— न्यास के न्यासीगण ही ट्रस्ट का प्रबन्धन करेंगे। इसके अतिरिक्त न्यास के ट्रस्टीगणों की सहमति से बाहरी व्यक्ति जो न्यास हित में हो, को रूपये 51,000/— या न्यास की सहमति के अनुसार सदस्ता शुल्क देकर आजीवन सदस्य बन सकता है। और रूपये 11,000/— देकर एक वर्ष के लिए सदस्य बनाया जा सकता है।

अमोलकुमार पुष्पारेखा दीपक उर्फ

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 03AA 132998

16— न्यासी बोर्ड में पदाधिकारियों का चयन केवल न्यासीगणों के द्वारा ही किया जायेगा।

17— ट्रस्ट के राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण एवं गारन्टी प्राप्त करने पर बैंक के सिक्योटी दस्तावेज व अन्य दस्तावेजों पर ट्रस्टीगण संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करेंगे।

18— ट्रस्ट की चल अचल संपूर्ण संपत्ति ट्रस्टीगणों के दान द्वारा ट्रस्ट के अजीवन सदस्यों व अन्य सदस्यों व समाजसेवियों द्वारा दान प्राप्त (ACQUIRE) होगी।

19— ट्रस्ट द्वारा बैंक से ऋण व बैंक गारन्टी के पश्चात बैंक की अदायगी समय से नहीं करने पर बैंक को अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट की संपत्ति को नीलाम करके बैंक की बकाया राशि वसूल कर लेने पर सभी ट्रस्टीगणों को कोई आपत्ति नहीं होगी।

अजीतकुमार पुष्पादेवी दीपककुमार

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

67AA 327086

0 9 JUL 2009

न्यासीगणं (ट्रस्टीगण) की स्वीकृति

यह कि उपरोक्त जे0के0 एजूकेशनल ट्रस्ट, बदायूँ रोड, बबराला जिला–बदायूँ के न्यासीगण न्यास संविधान नियमावली के अनुसार कार्य करने के हेतु वचनवद्ध हैं एवं बिना बाहरी दवाब के स्वस्थ मनः स्थिति से आज दिनांक : 23–07–09 द्वारा न्यासीगण बनना स्वीकार करते हैं। अतः न्यास विलेख में हस्ताक्षर किया जाता है।

ट्रस्टीगणों के नामः–

अजीत कुमार पुष्पादेवी दीपक कुमार

निशुरेश

साक्षी

उमेश चन्द्र पुत्र श्रीरामाराम
नि० ब्यौरा पो० रजपुरा तह० गुन्नौर

साक्षी

सुरेश चन्द्र पुत्र श्री नेकसे
नि० गुन्नौर ... पो० ...

ड्राफ्टकर्ता :– विशाल मित्तल एडवोकेट तहसील गुन्नौर जिला बदायूँ

Date – 23-7-09

V. Mittal Ad
23-7-09

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

04 JAN 2011

M 787753

Cashier G.N.B.

सप्लीमेन्टरी डीड ऑफ ट्रस्ट

एक ट्रस्ट डीड जे0के0ऐजुकेशनल ट्रस्ट बदायूँ रोड बबराला जनपद-बदायूँ उ0प्र0 मैने दिनांक 23.07.09 को पंजीकृत करायी है। जिसका पता बही 2873 पृष्ठ 375-390 क्रमांक 3880 पर पंजीकृत है। जिसमें निम्न बिन्दु और सम्मलित करना चाहता हूँ।

1. पंजीकृत ट्रस्ट का नवीनीकरण नही होगा क्योकि ट्रस्ट का नवीनीकरण नही होता है।

2. ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय के प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

3. ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनु0जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगें।और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेशिक शिक्षा परिषद द्वारा

Scanned by CamScanner

9/1/11 1054

श्री अजीत कुमार S/O श्री मुरारी किशोर नि०
बबराला Sale
5000

न्याय पत्र

11 (B)

1000/- 20/- 120/- 800

श्री अजीत कुमार पुत्र श्री मुरारी किशोर यादव
नि० बबराला पर० —— तह० गुन्नौर
जिला ... ने कार्यालय उप० निबन्धक गुन्नौर
जिला ... में आज दिनांक 25-1-2011
को समय 4 व 5 ... बजे बीच में प्रस्तुत किया।

25-1-2011

अजीतकुमार

... पत्र का निष्पादन तथा प्राप्त ... मूल्य ...
... —— ... समक्ष प्राप्त करने ...
अजीत कुमार व शामिल पुष्पा देवी व श्री दीपक कुमार
ने स्वीकार किया।

... ... उमेश चन्द्र
पुत्र श्री राजाराम निवासी न्यौरा (बदाँयू) तह गुन्नौर
व श्री सुरेश चन्द्र पुत्र श्री नौकरी
निवासी गुन्नौर दरियापुर ... 25-1-2011

दीपक
पुष्पा देवी
दीपकअा

अजीतकुमार

(P.T.O)

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

622985

संचालित विद्यालय मे विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।

4. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्था द्वारा सरकार से कोई अनुदान की मांग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डी ऐजूकेशन नई दिल्ली /काउन्सिल फार दि इन्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदो से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतःसमाप्त हो जायेगी।

5. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियो के अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेंगे।

6. ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय के कर्मचारियो की सेवा 'शर्ते बनाई जायेगी और इन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय

Scanned by CamScanner

1855 100

1054/

उमेश

तरमीम जो संपूर्ण विलेख निष्पादनानुसार किये गए हैं

25-12-11

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 13 JAN 2011 AK 622986

उच्चतर माध्मिक विद्यालयो के कर्मचारियो को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

7. ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उसका पालन करेगी।

8. ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं 'में रखा जायेंगा।कि विद्यालय को विभाग/शासन के सभी प्रतिबन्ध कम-1 से 8तक स्वीकार है।

9. ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय में उक्त 'शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/ संशोधन/ परिवर्द्धन नही किया जायेगा।.

10.ट्रस्ट द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं पुरुषों हेतु दीनी तालीम एवं मदरसो की स्थापना व संचालन करना

अशोक कुमार   दीपक कुमार   [signature]

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 13 JAN 2011 AK 622987

11. ट्रस्ट द्वारा ट्राईसेम योजना एकीकृत ग्राम्य विकास योजनान्तर्गत महिलाओं तथा बेरोजगारों को निशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाकर स्वावलम्बी बनाना।

12.जनहितार्थ निशुल्क चिकित्सालय अनाथालय छात्रावास व्यायामशाला विधवा आश्रम वृद्ध आश्रम शिशु पालन गृह बालबाडी आंगनबाडी आदि की स्थापना व संचालन करना।

13.एडस कैंसर टी0वी0 हेपटाइटिस मधुमेह आदि जानलेवा बीमारियो की पहचान व रोकथाम हेतु जागरूकहता शिविरों के माध्यम से लोगों को जागरूक करना। प्राकृतिक चिकित्सा योगा नेचुरापैथी का प्रचार–प्रसार करना।

14.कृषि विकास हेतु आधुनिक कृषि यंत्रो उर्वरक बीज सिंचाई के साधन तथा कृषि उपज को बढावा मिल सके एवं उद्यान विभाग/कृाि विभाग उ0प्र0 द्वारा संचालित कार्यक्रमो को संचालित करना।

मसौदा तैयार कर्ता : अजीत कुमार — अजीत कुमार — दीपक कुमार पुष्पा देवी

अजीत कुमार पुत्र श्री जुगलकिशोर

नि०–बकराला – बदायूँ

दिनांक :- 25/01/11

साक्षी :- [signature]

उमेश चन्द पुत्र श्री राजाराम

नि० – दपौरा परग०– रजपुरा तह०– गुन्नौर

बदायूँ

साक्षी :- सुरेश

सुरेश चन्द पुत्र श्री नेकसे

नि०– गुन्नौर हीरापुर

परग०– असदपुर तह०– गुन्नौर

Scanned by CamScanner